



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नकली करेंसी नोट का निर्माण व क्रय-विक्रय करने वाले 03 अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कारावास व ₹39,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत अ0सं0- 700/2011 धारा-489ए, 489सी, 489डी भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.राजाभैया पुत्र देवीदीन नि0 उमरी थाना बिंवार जनपद हमीरपुर, 2.अमर सिंह पुत्र रामऔतार व 3.पप्पू पुत्र राजाराम कुशवाहा निवासीगण करगांव थाना बिंवार हमीरपुर को 10-10 वर्ष के कारावास व ₹39,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी अशोक कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
उ0नि0- रमेश  
कुमार सरोज



पैरोकार- थाना बिंवार  
आरक्षी प्रेम सिंह